न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/2013 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2014/00376

उनवानी :–

1– रोहतान पुत्र दलवीर सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

2–राजेश पुत्र दलवीर सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

3–विधादेवी पत्नी दलवीर सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

4–दीपचंद पुत्र करन सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

5– गुलाबसिंह पुत्र करन सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

6– कालीचरन पुत्र करन सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांट————————

सत्यमेव जयते

बनाम

1– राजस्थान सरकार द्वारा भरतपुर।

2– तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर।

रेस्पो0———————

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर भरतपुर दिनांक 14.10.2013 मु0न0 273/2009 उनवानी रोहतान बनाम राज0 सरकार।

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर

2– वकील रेस्पो श्री रवीन्द्र फौजदार(राजकीय अधिवक्ता)

Web Copy Not Official

निर्णय दिनांक 05.02.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 1876/3626/0.27 हैक्टेयर वाके ग्राम बछामदी तहसील जिला भरतपुर में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है । विवादित आराजी बाबत् अधि0 न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नें अपीलार्थी का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलार्थी नें संवत् 2022 से पूर्व की जमावदीं एवं खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है। खसरा न0 में भी मसकूरी है इस वजह से अपीलार्थी विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जानें का अधिकारी नहीं है। उक्त बिन्दु इस न्यायालय में सारवान नहीं है अतः अपील स्वीकार की जाकर कर अपीलार्थी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी नें अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होनें के आधार पर अपील खारिज करनें हेतु निवेदन किया।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी नें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिये गये आधारों का न तो कोई खंडन पेश किया है और न ही कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश किये है जिससे अपीलार्थी के दावे की सत्यता संदेह से परे साबित हो सके। अतः अपीलार्थी की अपील सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी यथावत् रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिकरी व सीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
बाइजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 15/2013 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2014/00376
उनवानी :–

1– रोहतान पुत्र दलवीर सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
2–राजेश पुत्र दलवीर सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
3–विधादेवी पत्नी दलवीर सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
4–दीपचंद पुत्र करन सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
5– गुलाबसिंह पुत्र करन सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
6– कालीचरन पुत्र करन सिंह जाति जाट निवासी नगला बरेला मजरा बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांट---------

बनाम

1– राजस्थान सरकार द्वारा भरतपुर।
2– तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर।

रेस्पो0---------

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर भरतपुर दिनांक 14.10.2013 मु0न0 273/2009 उनवानी रोहतान बनाम राज0 सरकार।

यह अपील ....05..............माह.......02...........सन्.......2018.........व हमारे ...श्री महाराज सिंह डागुर एड0.... मिनजानिब अपीलाण्ट व् श्री रवीन्द्र सिंह फौजदार राज0 अधि0......रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील................का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग...................................)रूपये....... ....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........05..........माह.......02......सन्..........2018.... .....को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Web Copy - Not Official